न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 898/2018

1. जसदीपसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. बाबत रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मलकीयत सिंह नंदा – – प्रार्थी
2. श्री मोहनलाल माहर – – अप्रार्थी सं.2
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी सं. 3

–:: आदेश ::– दिनांक :– 31.05.2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण के नाम से चक 5 एमएल तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 95 व 100 में कुल 36.00 बीघा रकबा संयुक्त रूप से है। जिसका बंटवारा बअदालत जिलाधीश श्रीगंगानगर मुकदमा नम्बर 159/2015 अनवान जसदीप सिंह बनाम रघवीर सिंह जिसका फैसला 24.02.2016 होकर दावा डिक्री हो चुका है। नकल फैसला शामिल हाजा है। मुरब्बा नम्बर 92 के किला नम्बर 25 में प्रार्थी जसदीपसिंह का टयूबवैल लगा हुआ है। इसके अलावा मुरब्बा नम्बर 92 के किला नम्बर 15 में एक सांझा टयूबवेल लगा हुआ है जो हम (प्रर्थी) छः भाईयों का सांझा लगा हुआ है। जिसको सभी भाई बारी–बारी से चलाते हैं और अपनी आबपाशी करते हैं। यह रकबा बारानी है और इसकी आबपाशी टयूबवैल से ही होती है। मु.नं. 92 के किला नं. 15, 16, 25 में प्रार्थीयान की 25 X 64 फुट जगह ही है बाकी रकबा नहर में आया हुआ है और इसी 25 X 64 फुट जगह में ही प्रार्थी जसदीप सिंह का अकेले का व किला नं. 15 में हमारे सभी भाइयों का सांझा टयूबवैल लगा हुआ है जिसका पानी मु.नं. 92 से मुरब्बा नम्बर 100 में आता है। इसलिए मु.नं.92 के किला नं. 21 ता 25 में एक एक बिस्वा जगह सांझी रखी गई थी। ताकि सभी हिस्सेदारान इस जगह से टयूबैल से आ जा सके यानि 8–8 फुट जगह सांझी थी जिसमें से टयूबवैल की पाइपे दबाई हुई है जो मु.नं. 100 में पहुंचती है। इसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

मु.नं. 100 में भी प्रार्थीयान का रकबा है। मुरब्बा नम्बर 100 के किला नं. 21 ता 25 में मंजूरशुदा रास्ता है। जो मैका पर चालू है। यहां से प्रार्थीयान अपने मु.नं. 100 के अपने अपने रकबा में आते जाते हैं। इसी प्रकार मुरब्बा नम्बर 100 के सभी हिस्सेदारान द्वारा मु.नं. 92 तक आने जाने के लिए व टयूबवैल की खाली पाइपों के लिए 8–8. फुट जगह छोडी हुई है जो बंटवारा में डिक्री करवाते समय सांझी रखी गयी थी। यहां से मौका पर मु.नं. 100 से 92 में आते जाते है। मु.नं. 100 के साथ मु.नं. 93 चिपता है और मु.नं. 93 के किला नम्बर 25 की कॉर्नर से प्रार्थीयान मु.नं. 92 मे आते जाते हैं। मु. नं. 93 में कुलविन्द्रसिंह के किला नं. 16, 17 24 व 25 कुल 4.00 बीघा रकबा है जो कुलविन्द्रसिंह के कब्जा काश्त में है और कुलविन्द्रसिंह ही रकबा का मालिक है और किला नं. 25 के कॉर्नर से प्रार्थीयान मु.नं. 100 से 92 में आते जाते है। अब कुलविनद्रसिंह ने मु.न. 93 के किला नं. 25 के कॉर्नन से जो मुरब्बा नम्बर 92 में आने जाने का रास्ता था उसको जानबुझ कर बंद कर दिया है जो पिछले 30 वर्षो से लगातार चल रहा था। अब इसको तार लगाकर बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थीयान को अपने टयूबवैल में आने जाने के लिए कोई रास्ता शेष नहीं रहा है। अगर प्रार्थीयान सडक से घूम कर नहर के साथ होकर आते है तो प्रार्थीयान को करीबन 4 किलोमीटर घूमकर टयूबवैल को चलाने के लिए जाना पडता है और अब रास्ता बंद हो जाने से प्रार्थीयान को काफी परेशानी हो रही है। जिसको कई बार प्रार्थीयान की बारी का टाईम ही ज्यादा लम्बा रास्ता होने की वजह से आने जाने में ही निकल जाता है। प्रार्थीयान को मु.नं. 93 के किला नं. 25 की नुक्कड़ से मु.नं. 92 में आने जाने के लिए अगर 8 फुट रास्ता मिल जाती है तो प्रार्थीयान की तकलीफ खत्म हो जावेगी। इसके अलावा प्रार्थीयान को टयूबवैल तक आने जाने के लिए अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थीयान उपरोक्त रास्ता की एवज में भूमि के बदले भूमि या रूपये अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को रास्ता बंद ना करने हेतु व तार हटाने हेतु कई बार निवेदन किया गया परन्तु उन द्वारा प्रार्थीगण की बात को अनदेखा कर तार लगा दी, इस कारण से प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 एमएल के मु.नं. 93 के किला नं. 25 की कॉर्नर (नुक्कड) से 8 फुट रास्ता प्रार्थीगण के टयूबवैल व अपने रकबा में आने जाने हेतु मंजूर किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.05.2019 को अप्रार्थी सं.1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार मुरब्बा नम्बर 92 के किला नम्बर 25 ता 16 में लगे नलकूपों के होने के सम्बन्ध में प्रार्थी से उचित दस्तावेज पेश करवाये तभी जवाब दिया जा सकेगा। प्रश्नगत कृषि भूमि वाके चक 5 एमएल के मुरब्बा नम्बर 92 के किला नं. 16/3, 17/3, 18/3, 19/3, 19/3, 20/3, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, तथा मुरब्बा नम्बर 100 के किला नम्बर 17/2 में 0.240 हैक्टर लि नम्बर 23/1 में 0.13 हैक्टर कुल 1.501 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी को नलकुपों तक पहुंचने हेतु स्वीकृतशुदा रास्ता मौजूद है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी शान्तिपूर्वक कर रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी से व्यक्तिगत रंजिश निकालने हेतु प्रस्तुत है। रास्ता स्वीकृति हेतु दो आवश्यक

स्थितियों प्रथम अत्यान्तिक आवश्यकता (Absolite necessity) तथा वैकल्पिक रास्ता (Alternative way) के अभाव में स्वीकृत किया जा सकता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का मुख्य उद्देश्य केवल तकलीफ एवं सुविधा की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी से नहीं मिला चूंकि मौके पर कभी कोई तार लगाकर रास्ता बंद किया क्योंकि मौके पर कोई रास्ता है ही नहीं। प्रार्थना पत्र में अन्य आवश्यक सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मंजूरशुदा है जहां तक नलकूप के देखभाल, आने जाने हेतु रास्ता का प्रश्न है वह कानूनन दिया ही नहीं जा सकता।

वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र को सव्यय धारा 35(ए) सीपीसी से खारिज किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगागनर से प्राप्त रिपोर्ट कमांक राजस्व/18/3007 दिनांक 10.12.2018 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2069–72 चक 5 एलएल के खाता संख्या 92 के मु.न. 93 के किला नं. 25 के दक्षिण–पूर्वी भाग में 8 फुट रास्ता चाहा गया है उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है, जमाबंदी के अनुसार सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, पक्षकार बनाया जाना उचित होगा। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा मु.नं. 100 के किला नं. 21 ता 25 में चालू स्वीकृतशुदा रास्ता है, मु.नं. 92 के किला नं. 21 ता 25 संयुक्त खाता का रकबा को नहर सीमा में पक्की सडक (डामर रोड़) लगती है जबकि प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता मु.न. 93 के किला नं. 25 में स्थित कुँआ पर जाने हेतु किला नं. 25 के कोणा चाहा गया है जो संयुक्त खाता में दर्ज है। मौका नक्शा संलग्न है। इसी मु.नं. 93 के किला नं. 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जो मौका पर चालू है। इसके अलावा कोई प्रचलित रास्ता नहीं हैं।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित दृष्टांत RRT 2017(1) P-567 अभिलेख (प्रति) प्रस्तुत किया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की भूमि संयुक्त खाता में है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी को नलकुपों तक पहुंचने हेतु पूर्व से स्वीकृतशुदा रास्ता मौजूद है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता पहले से मौजूद है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने एवं प्रार्थी के पास आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर